



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032025-261970  
CG-DL-E-26032025-261970

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1366]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2025/चैत्र 5, 1947

No. 1366]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025/CHAITRA 5, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

**का.आ. 1384(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2025 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध उत्तर प्रदेश राज्य के अम्बेडकर नगर, औरैया, बहराइच, गोंडा, हमीरपुर, जालौन, कन्नौज, महाराजगंज, महोबा, पीलीभीत, सिद्धार्थ नगर, शामली, प्रतापगढ़, कासगंज और श्रावस्ती जिलों के सभी क्षेत्रों में, प्रवृत्त होंगे, अर्थात्,—

- (i) धारा 38 से धारा 43;
- (ii) धारा 45क से धारा 45ज;
- (iii) धारा 46 से धारा 73;
- (iv) धारा 74 से धारा 75;
- (v) धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4); और
- (vi) धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस-38013/03/2024-एसएस-1]

रूपेश कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2025

**S.O. 1384(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2025, as the date on which the following provisions of the said Act, shall come into force in all areas of the district of Ambedkar Nagar, Auraiya, Bahraich, Gonda, Hamirpur, Jalaun, Kannauj, Maharajganj, Mahoba, Pilibhit, Siddharthnagar, Shamli, Pratapgarh, Kasganj and Shravasti in the State of Uttar Pradesh, namely:—

- (i) sections 38 to 43;
- (ii) sections 45A to 45H;
- (iii) sections 46 to 73;
- (iv) sections 74 and 75;
- (v) sub-section (2) to (4) of section 76; and
- (vi) sections 82 and 83.

[F. No. S-38013/03/2024-SS-I]

RUPESH KUMAR THAKUR, Jt. Secy.